

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 68 / प्र०अ०(त०स०-२) / जोन-१ / यु०हा० / २०१५-१६ दिनांक १५/०६/२०१६

### अनुमति—पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री गौरव मोहन, श्रीमती नीलिमा गुप्ता एवं श्री अशोक कुमार देवडा द्वारा नजूल फी हॉल्ड उपविभाजित भूखण्ड संख्या-४०/३ सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के जोन संख्या (१) के अन्तर्गत समूह आवास भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक १०-०६-२०१६ के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
४. स्थल पर १२ वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा—भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
५. रेनवाटर हार्डेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू—गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ०ड०आर० अवमुक्त किया जायेगा।
६. सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचेन, बाथरूम में अनिवार्य रूप से किया जाय।
७. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्ची अवमुक्त की जायेगी।
८. उ०प्र० आपाटमेन्ट एक्ट २०१० एवं रूल्स २०११ का अक्षरशः पालन करना होगा।
९. राष्ट्रहित में परिसर की स्ट्रीट लाईट सोलर पैनल द्वारा प्रज्ञवलित किया जाय।
१०. मुख्य अभियन्ता इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : २०१६/१९५१०/इला०/१४४/सीएफओ दिनांक ०९.०३.२०१६ में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
११. मुख्य अभियन्ता—पिंडित इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : १४८२/म०अ०(वि०)इ०४००/पी-२ (मानचित्र) दिनांक १७.०३.२०१६ में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
१२. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : ९६०/STCE/१६ दिनांक १६.०३.२०१६ में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा :-
  १. भवनों के निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवरथापना सुविधा जैसे—सड़क पटरी इत्यादि प्रभावित होती है तो उसका मरम्मत एवं निर्माण आवेदक द्वारा कराया जायेगा।
  २. भवनों के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि अवरथापना सुविधा क्षतिग्रस्त न हो।

- C. भवनों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था Building By-Laws के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।  
D. फायर ब्रिगेड विभाग की एनओसी० लेना आवश्यक होगा।  
E. भवनों का निर्माण Building By-Laws के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।  
F. नाला बन्द नहीं किया जायेगा, न ही नाले के ऊपर कोई निर्माण किया जायेगा।  
G. 800m.m. diameter के NP 4 Type के गुणवत्ता के पाइप का प्रयोग निर्माण कार्य में उपयोग में लाया जायेगा।  
H. पांच-पांच लीटर के अन्तराल पर सफाई हेतु मेनहोल चैम्बर का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करना होगा, जिससे निर्वाध सफाई की जा सके।  
I. नगर निगम किसी भी बाद-विवाद में पक्षकार नहीं होगा, ख्यय पक्ष द्वारा नियमित नाला का रख-रखाव/सफाई समय-समय पर करना होगा।  
13. बहुमंजिले भवन का निर्माण स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानकों पर ही किया जाना आवश्यक है। निर्माण की गुणवत्ता एवं संरचना का सम्पूर्ण दायित्व निर्माण/विकासकर्ता का होगा।  
14. प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र 38 आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण पूर्णतया निविद्ध होगा।  
15. रथल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्यायानुमान में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका मुगतान आवेदकगण को वहन करना होगा।  
16. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की रिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सज्जम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है।  
17. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।  
18. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।  
19. यह स्वीकृत पत्र केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है।  
20. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।  
21. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।  
22. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।  
23. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनिवार्य घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

४०/१०/१६  
प्रभारी अधिकारी (१०४०)  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद  
१४





